



Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

जूनियर एनालिस्ट के पद खाली



आवेदन की अंतिम तिथि : 15 मई, 2024
पात्रताएं : पोस्ट-ग्रेजुएशन डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : <https://upsssc.gov.in>

AIASL में कई पदों पर निकली भर्ती ■ 55 पद

जूनियर ऑफिसर, इयूटी ऑफिसर व अन्य पद खाली
वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि 26/27/28/29 फरवरी, 2024
पात्रताएं : ग्रेजुएशन डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें <http://aiasl.in>

PFC, लिमिटेड में संभावनाएं ■ 27 पद

कोऑर्डिनेटर के विभिन्न पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि 07 मार्च, 2024
पात्रताएं : बीई/बीटेक डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें <https://pfcindia.com>

रक्षा मंत्रालय में रोजगार के मौके ■ 260 पद

नाविक के विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित
आवेदन की अंतिम तिथि : 27 फरवरी, 2024
पात्रताएं : 12वीं एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : <https://joinindiancoastguard.cdac.in>

INCOIS में अभ्यर्थी करें आवेदन ■ 39 पद

प्रोजेक्ट साइटिस्ट एवं कन्स्ट्रक्ट के पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि 01 मार्च, 2024
पात्रताएं : ग्रेजुएशन/पोस्ट-ग्रेजुएशन/पीएचडी आदि निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें www.incois.gov.in

IIIT, पुणे में नौकरी के अवसर ■ 15 पद

असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जूनियर टेक्नीशियन आदि पद रिक्त
आवेदन की अंतिम तिथि 18 मार्च, 2024
पात्रताएं : आईटीआई/ग्रेजुएशन डिग्री/डिप्लोमा व अन्य पात्रताएं
यहां आवेदन करें <https://iiitp.ac.in>

यहां भी रोजगार के अवसर ...

- बुनकर सेवा केंद्र (भारत सरकार) : आशुलिपिक ग्रेड-1 के पद पर करें आवेदन।
आवेदन की अंतिम तिथि : 09 मार्च, 2024 तक
आवेदन करें ■ <https://handlooms.nic.in>
- न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय : उप-निदेशक के पद खाली।
आवेदन की अंतिम तिथि : 09 मार्च, 2024 तक
आवेदन करें ■ www.dfs.nic.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

एजुकेशन & कैरिअर

बदलाव लाने के लिए स्वयं को बदलना जरूरी होता है।

रतें नहीं, कॉन्सेप्ट को समझें

सिर्फ तथ्यों को दोहराने से सिलेबस कवर नहीं होता, इसके लिए विषयवार रणनीति बनानी पड़ती है

डेनियल टी विलिंगम

न्यूयॉर्क टाइम्स



परीक्षाओं के दौरान पढ़ा हुआ हमेशा याद रहे, इसके लिए छात्र भिन्न-भिन्न तरीकों आजमाते हैं, ताकि परीक्षा में अच्छे अंक लाए जा सकें। दरअसल, 'पढ़ने का तरीका' एक ऐसा विषय है, जिस पर अमूमन छात्र ध्यान नहीं देते। पढ़ने के तरीके का अपना विज्ञान होता है। अगर एक औसत विद्यार्थी भी कुछ छोटे-छोटे नियमों का पालन करते हुए पढ़ाई करता है, तो वह परीक्षा में अच्छे अंक ला सकता है। इसलिए अगर आप भी अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए।

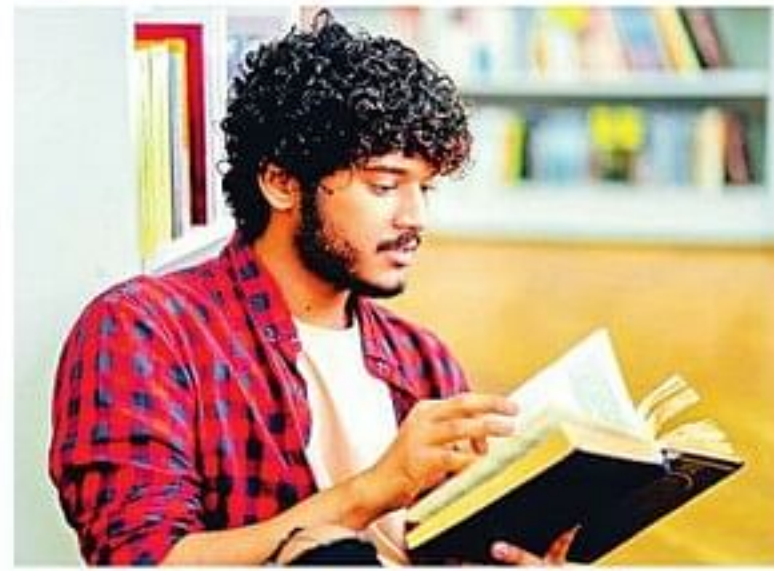
■ विषय के अर्थ को समझें

छात्र परीक्षा के दौरान अपने पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए नोट्स एवं किताबों को बार-बार पढ़ते हैं, जोकि

परीक्षा की तैयारी करने का सबसे आम तरीका है। छात्रों के लिए दोबारा पढ़ना आसान होता है, क्योंकि दोबारा पढ़ने से नोट्स और विषय परिचित लगने लगते हैं। अक्सर छात्र परीक्षा के दौरान विषय को बार-बार दोहराते रहते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि उक्त विषय याद हो रहा है। जबकि सच यह है कि इस तरह की पढ़ाई से छात्र कुछ चीजों को रट तो सकते हैं, लेकिन उनका गहराई से अर्थ नहीं समझ पाते। जबकि पढ़े हुए को समझना बहुत जरूरी होता है।

■ कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करें

जब भी छात्र किसी विषय को पढ़ते हैं, तो वह इस प्रक्रिया के दौरान सबसे आसान तकनीक की खोज करते हैं, जो असल रूप में उन्हें प्रभावी लगती है। छात्र लंबे समय तक विषय को याद रखने के लिए परिभाषा को हाईलाइट करना पसंद करते हैं, ताकि भविष्य में उसे आसानी से दोहराया जा सके, लेकिन यह अध्ययन करने का सही तरीका नहीं। अगर आप किसी विषय को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, तो परिभाषा नहीं, कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करें, जिससे आपका ध्यान बार-बार सही पंक्तियों पर जाए और बुनियादी अवधारणाएं वगैर रटे दिमाग में सहेजी जा सकें।



■ सही रणनीति बनाएं

अध्ययन के तरीके में सुधार करने के लिए एक चुनौती यह भी है कि छात्र सोचते हैं कि कुछ कार्य इतने सरल होते हैं, जिनके लिए रणनीति की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए विषयवार योजना बनाना बेहद जरूरी है, जिसके लिए विषय को उप-खंडों में बांटकर उनकी तैयारी की रणनीति बनाई जा सकती है। छात्रों को केवल तथ्यों को रटना नहीं, बल्कि उन्हें विषय के मूल कॉन्सेप्ट के साथ मिलाकर पढ़ने की योजना बनानी चाहिए।

भारत टेक्स इको स्टाइल सेल्फी प्रतियोगिता

कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारत टेक्स इको स्टाइल सेल्फी प्रतियोगिता 2024-25 के लिए दुनिया भर के युवाओं को प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में उम्मीदवार को पर्यावरण-अनुकूल वस्त्रों के निर्माण व डिजाइन पर आधारित सेल्फी जमा करनी होगी। इसके

अतिरिक्त भारत टेक्स इको स्टाइल सेल्फी प्रतियोगिता के

लिए प्रतिभागी केवल एक ही सेल्फी जमा कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा भेजी गई फोटो केवल जेपीईजी फॉर्मेट में स्वीकार की जाएगी। प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक विजेता को 5000 रुपये पुरस्कार राशि दी जाएगी। इच्छुक एवं योग्य आवेदक आधिकारिक लिंक www.mygov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 फरवरी, 2024 निर्धारित की गई है।

कंप्यूटर ऑपरेटर कम डाटा एंट्री इंटरनशिप

नगर पंचायत किटौर, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर ऑपरेटर कम डाटा एंट्री इंटरनशिप के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह एक पूर्णकालिक इंटरनशिप प्रोग्राम है, जिसकी अवधि एक माह निर्धारित की गई है। इस इंटरनशिप प्रोग्राम में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास बौकाम, बीए, बीएससी,

एमए, एमएससी की डिग्री एवं संबंधित क्षेत्र में कौशल एवं रुचि होनी चाहिए। कंप्यूटर

ऑपरेटर कम डाटा एंट्री इंटरनशिप प्रोग्राम के तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 10,000 रुपये का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। इच्छुक एवं योग्य आवेदक अपनी अर्हता की जांच करते हुए आधिकारिक लिंक <http://tinyurl.com/zyatpkzh> पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पूर्णकालिक कंप्यूटर ऑपरेटर कम डाटा एंट्री इंटरनशिप प्रोग्राम में आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च, 2024 निर्धारित की गई है।

कच्ची धूप



Fun & Learn

जड़ हवा में और पेड़ हरा है!

बच्चो, क्या तुमने कभी हवा में लटक पेड़ के बारे में सुना है। अमेरिका में 'ट्री ऑफ लाइफ' नाम का पेड़ अपने अद्भुत नजारे की वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। तुम भी जानो, पूरी कहानी।

एक पेड़ की मजबूती उसकी जड़ में होती है, जो जमीन के नीचे मिट्टी में फैली होती है। लेकिन क्या तुमने ऐसा पेड़ देखा है, जिसकी जड़ें हवा में लटक रही हैं, मगर वह फिर भी हरा-भरा है। प्रकृति का यह अद्भुत नजारा वाशिंगटन शहर के ओलंपिक नेशनल पार्क में दिखेगा, जहां स्थित है 'ट्री ऑफ लाइफ'। चूंकि इस चमत्कारिक पेड़ का कोई विशिष्ट नाम नहीं है, इसलिए इसे 'द ट्री ऑफ लाइफ', 'द रनवे ट्री' और 'कलालोच ट्री' भी कहा जाता है। यह पेड़ सीताका स्यूस प्रजाति का है, इसका नाम अलास्का में स्थित सीताका समुदाय से लिया गया है।

यह पेड़ अपनी विशाल ऊंचाई और चौड़े तने के लिए जाना जाता है। ये दो विशेषताएं हैं, जो इस पेड़ के हस्त्य में अहम योगदान देती हैं। कलालोच पेड़ मोटी जड़ों को लपेटकर अपने अंग्रेज होते तटीय क्षेत्र से चिपका हुआ है। इस पेड़ की खूबसूरती को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में सैलानी यहां आते रहते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि यह उनकी यात्राओं के बीच के समय में गिर गया होगा, लेकिन हर साल, सबको आश्चर्यचकित करते हुए यह पेड़ अपनी पुरानी स्थिति में ही रहता है। हालांकि बीच में गिरावट और स्थितिगत पर ध्यान देना

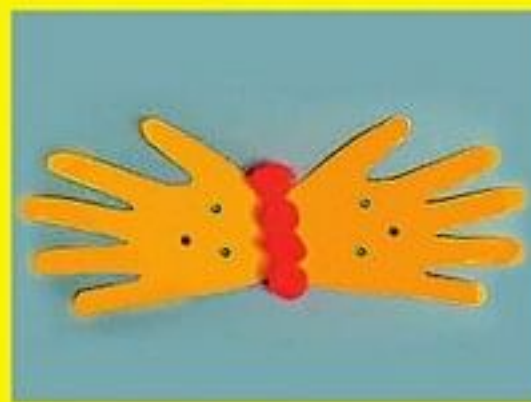


कठिन है, जाहिर तौर पर यह तने के भारी वजन का परिणाम है। पेड़ की जालीदार जड़ों के नीचे 'ट्री रूट केव' है। अंदर, जल की धारा गुफा जैसी संरचना में गिरती है और समुद्र में मिल जाती है। यह वह धारा है, जो हर साल जड़ों के नीचे की मिट्टी को बहा ले जाती है। कई लोग सवाल करते हैं कि हवा में लटकने के बाद भी पेड़ कैसे बढ़ता रहता है और इसकी पत्तियां हरी कैसे रहती हैं? पर्यावरणविदों के अनुसार, वास्तव में कोई नहीं जानता कि यह कैसे संभव हो रहा है, इसलिए लोग इस

पेड़ को 'ट्री ऑफ लाइफ' कहते हैं। इस पेड़ तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, इसके लिए केवल न्यूनतम चढ़ाई की आवश्यकता होती है। पेड़ को देखने आने वाले पर्यटकों के लिए नेशनल पार्क में ही कलालोच लॉज स्थित है। इसके अद्भुत दृश्य को सराहना करने के लिए इसे कुछ सौ फीट पीछे से देखना सबसे अच्छा है। नीचे से पेड़ की जड़ को करीब से देखना भी एक अलग अनुभव है, लेकिन न पेड़ पर चढ़ो, न खींचो और न ही उसे परेशान करो। प्रकृति की इस संरचना का सिर्फ आनंद लो।

किड्स क्राफ्ट हैंडप्रिंट बटरफ्लाई

हैंडप्रिंट बटरफ्लाई बनाने के लिए तुम्हें चाहिए - कलर शीट्स, स्केच पेन, वॉटर कलर्स, कॉटन, कैची और गोंद।



- सबसे पहले किसी भी शीट को हथेली के आकार (ले) में काटो।
- अब गोंद से दोनों को आपस में जोड़ दो।
- कॉटन पर किसी रंग का वॉटर कलर कर दो।
- गोंद से उसे जोड़ पर चिपका दो।
- स्केच पेन से हथेली पर कोई भी डिजाइन बना सकते हो।
- तुम्हारी हैंडप्रिंट बटरफ्लाई बनकर तैयार है।

किड्स कॉन्स

- कविता : निरंकर देव सेवक
- चित्र : सोभा शर्मा
- साभार : इकतारा



मुर्गी माँ घर से निकली बच्चे बोले चें चें चें बस्ता ले बाज़ार चली अम्मा भी साथ चलें

रोचक तथ्य



क्या तुमने कभी सैन पेड्रो जेल के बारे में सुना है। बोलीविया की यह जेल अपने आप में अनोखी है। दुनिया की अन्य जेलों के विपरीत यहां कैदियों के पास जेल के अंदर ही नौकरियां एवं नगमा सुविधाएं हैं। वे जेल के अंदर घर खरीद सकते हैं, किराए पर कमरा ले सकते हैं या अपने परिवारों के साथ रह भी सकते हैं। इस जेल को कैदी ही चलाते हैं, यहां कोई गार्ड नहीं होता है। जेल में औसतन 3,000 कैदी हैं। सैन पेड्रो में कैदियों की एक परिषद है, जो नियम बनाती है और सजा तय करती है। सैन पेड्रो जेल में बंद कैदियों के परिवार जेल के अंदर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहां इसे अफवाह माना जाता है कि परिवार बाहर की तुलना में जेल के अंदर अधिक सुरक्षित हैं।

23 फरवरी, 1947

आज का दिन

अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) का संचालन शुरू हुआ था। आज के समय में आईएसओ साइकिल के टायर से लेकर डेट फॉर्मेट तक हर चीज के लिए मानक जारी करता है।



■ 1941 : प्लेन टी. सीबॉर्ग और उनकी टीम ने रासायनिक रूप से प्लूटोनियम की पहचान की थी।

■ 1954 : पोलियो के खिलाफ पहला सामूहिक टीकाकरण अभियान आयोजित किया गया था।

■ 1970 : गुयाना ने खुद को गणराज्य घोषित किया था।

■ 2020 : यूरोपीय देश इटली में कोविड-19 का बड़ा प्रकोप हुआ था।

व्रत त्योहार

आज : माघ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। कल : माघ पूर्णिमा, गुरु रविदास जन्ती, वसंत ऋतु, सूर्य उत्तरायण, वंशज गोले। राहुकल : प्रातः 09.00 से 10.30 तक।

कल का पंचांग

विक्रमी संवत् 2080, 05 फाल्गुन मास शके 1945, फाल्गुन मास 12 प्रतिके, 13 सावान हिजरी 1445, माघ पूर्णिमा 17.59 तक उपरांत फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, माघ नक्षत्र 22.20 तक उपरांत पूर्णाफाल्गुनी नक्षत्र, अतिगंड योग 13.33 तक उपरांत सुकमा योग, वच करण 17.59 तक उपरांत बाल्य करण, चंद्रमा सिंह राशि में दिन रात।

amarujala.com/astrology

पं. विनोद त्यागी

राशिफल

मेघ : दिनचर्या अस्त-व्यस्त रहेगी। वस्तु कार्य में अवरोध आएंगे। स्वजन से निरक्षा होगी। लाभ कम होगा।	सिंह : स्वास्थ्य प्रतिकूल रहेगा। व्यापार निर्वहण रहे। अनाधिकार बंद सकता है। देनदारी की चिंता रहेगी।	धन : आनंदपूर्ण बनाए रखें। नौकरी में परेशानी संभव है। अनुचित कार्य से बचें। जोखिम-जमानत से बचें।
वृष : महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी। नई योजना में व्यस्त रहेंगे। व्यावसायिक लाभ से मन प्रसन्न रहेंगे।	कन्या : प्रयासों में सफलता से उत्साह बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। व्यवसाय में लाभ के अवसर मिलेंगे।	मकर : कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा। निजी उद्यम से ही उत्कृष्ट होगी। व्यवसाय में उत्तम लाभ हो सकता है।
मिथुन : नौकरी में अधिकारी से परेशानी संभव है। धोखा मिल सकता है। व्यावसायिक स्थिति से चिंता होगी।	तुला : सत्ता का सहयोग मिलेगा। नौकरी में अधिकार बढ़ सकता है। व्यावसायिक लाभ से हर्ष होगा।	कुंभ : नौकरी में अधिकार बढ़ सकता है। कोर्ट-कचहरी में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक लाभ बढ़ सकता है।
कर्क : नौकरी में पदेनचुनाव संभव है। योजना में अनुकूल सफलता मिलेगी। व्यावसायिक लाभ से उत्साह बढ़ेगा।	वृश्चिक : पठन-पाठन में रुचि रहेगी। अंतर्गत कार्य बल सकता है। यशस्वी लाभ होगा। धर्म में आस्था बढ़ेगी।	मीन : कार्यक्षेत्र में प्रभाव बना रहेगा। अंतर्गत कार्य बल सकता है। यशस्वी लाभ होगा। धर्म में आस्था बढ़ेगी।

www.aiaastrologer.com

आपकी किस्मत के बारे में सब जानता है पूछ के देख लो ...

Visit : www.aiaastrologer.COM

AI ASTROLOGER is based on Vashist Jyotish of GURUDEV GD Vashist

6	3	7	4
4	5	8	3
6		1	
2	8		3
5	3		1
7	9		4
8		6	
5	7	4	2
3	8	5	7

सुदृढ़

उत्तर

डेली हेल्थ कैप्सूल

डिहाइड्रेशन और शुगर क्रेविंग...

जब शरीर में पानी की कमी होती है, तो मीठी चीजें खाने की इच्छा होती है। इससे बचने के लिए क्या करें?

डिहाइड्रेशन तब होता है, जब शरीर अधिक तरल पदार्थ खो देता है। तरल पदार्थों का अधिक सेवन कर डिहाइड्रेशन और शुगर क्रेविंग को ठीक किया जा सकता है। डिहाइड्रेशन के कारण होने वाली समस्याओं में चीनी खाने की लालसा प्रमुख है। जब कभी



शरीर को पानी की आवश्यकता होती है, तो हमें शुगर क्रेविंग महसूस होती है। भरपेट भोजन के बाद आपको मिठाई खाने की इच्छा हो सकती है। चूंकि पाचन में अधिक ऊर्जा की खपत होती है, इसलिए अधिक चीनी खाने की इच्छा भी हो सकती है। चिंता, तनाव, अवसाद, अकेलापन और थोड़ी सी नकारात्मकता मुड़ भी चीनी खाने की इच्छा को ट्रिगर कर सकते हैं। शुगर क्रेविंग का कारण केवल डिहाइड्रेशन नहीं है। तनाव भी चीनी खाने की लालसा को बढ़ा देता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि तनाव में रहने वाले लोग लगातार कार्ब्स खाने के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। पूरी नींद न लेना या नींद की कमी भी शुगर क्रेविंग को बढ़ाने में सहायक है। सख्तीयों और फल में पानी की मात्रा अधिक होती है, इन्हें अपने संतुलित आहार में शामिल कर शुगर क्रेविंग और डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

जब कभी शरीर को पानी की आवश्यकता होती है, तो शुगर क्रेविंग महसूस होती है। सख्तीयों और फल में पानी की मात्रा अधिक होती है, जिन्हें अपने संतुलित आहार में शामिल करने से इस परेशानी को रोका जा सकता है।

-अशु वीरान, आहार विशेषज्ञ

नोट : बच्चो, अगर लिखी है आपने खुद कोई कहानी या कथित तो हमें भेजें। साथ में अपना पूरा पता, स्कूल का नाम और कक्षा भी लिखें। अपनी तस्वीर भी भेजें। पसंद आने पर हम उसे प्रकाशित करेंगे। भेजें करें : Kidz@del.amarujala.com

6 | संपादकीय | कल्पमेधा

जनसत्ता | 23 फरवरी, 2024

पहचान और पूर्वाग्रह

इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि किसी व्यक्ति को उसके पहनावे के आधार पर ऐसी पहचान से जोड़ कर देखा जाए, जिससे उसका दूर-दूर का भी वास्ता न हो और ऐसा करने से उसके लिए कई तरह के जोखिम पैदा हो जाएं। खबरों के मुताबूक, पश्चिम बंगाल में संदेशखाली मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा के एक नेता ने वहां मौजूद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सिर्फ इसलिए खालिस्तानी कह दिया कि उसके सिर पर सिख धर्म की पहचान वाली पगड़ी बंधी थी। स्वाभाविक ही भारतीय पुलिस सेवा के उस अधिकारी ने इस पर आपत्ति जाहिर की कि उस पर कोई धार्मिक टिप्पणी कैसे की जा सकती है और उसकी वेशभूषा की वजह से खालिस्तानी की पहचान से कैसे जोड़ा जा सकता है। यह संभव है कि प्रदर्शनकारियों को पुलिस के रवैये या काम करने के तरीके से शिकायत हो, लेकिन इसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताने और उचित मंच पर शिकायत दर्ज कराने के बजाय वैसी पहचान को लक्ष्य करके टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है, जिसे एक अलगाववादी समूह के तौर पर देखा जाता हो और उसके बारे में लोगों की राय सकारात्मक नहीं हो।

पिछले कुछ समय से किसी को पहनावे के आधार पर नाहक ही चिह्नित करने की धारणा पल-बढ़ रही है। किसान आंदोलन में शामिल पंजाब के लोगों के बारे में भी पूर्वाग्रहों से भरी टिप्पणियां करने की खबरें आई थीं। ऐसे मामले अगर अक्सर सामने आने लगें तो इससे न सिर्फ कुछ खास पहचान वाले आम लोगों के लिए मुश्किल पैदा होगी, बल्कि ऐसे पूर्वाग्रहों के शिकार लोगों के भीतर भी अनेक तरह की कुंठाएं और विकृतियां विकसित होने लगेंगी। अच्चल तो एक खास धार्मिक पहचान से जुड़े पहनावे की वजह से किसी पर इस तरह अंगुली नहीं उठाई जा सकती, जिसका कोई आधार नहीं हो, मगर इसका उस पर कई स्तर पर प्रभाव पड़ता हो! फिर आवेश में आकर किसी को सिर्फ कपड़े के आधार पर किसी संवेदनशील पहचान से जोड़ देने के सामाजिक असर और कानून से जुड़ी प्रक्रिया के नतीजों की कल्पना की जा सकती है! ऐसा किसी के लिए भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके नतीजे संबंधित व्यक्ति के जीवन पर बहुत गलत असर डाल दे सकते हैं। सभी धर्म या समुदाय में सकारात्मक कामों को अपना सामान्य जीवन और दायित्व समझने के बरक्स नकारात्मक गतिविधियों में लिप्त कुछ लोग भी होते हैं। अगर किसी समुदाय के चंद लोग प्रतिगामी और गैरकानूनी कामों को अंजाम दे रहे हों, तो उनकी धार्मिक पहचान के अन्य लोगों को उससे जोड़ कर नहीं देखा जा सकता। सिखों के बीच कुछ लोग अगर अलगाववाद में विश्वास रखते होंगे तो उनसे अलग राय रखने, पीड़ित होने और कई स्तर पर उसका सामना करने वाले लोगों में भी बहुत सारे सिख ही हैं। पश्चिम बंगाल में जिस अधिकारी को लक्षित करके टिप्पणी की गई, वह आधिकारिक रूप से देश के कानूनों को लागू करने की ड्यूटी पर तैनात था। अगर वह अपने दायित्वों के निर्वहन में जानबूझ कर कोई कमी करे, तब उचित मंच पर और कानून के दायरे में निर्धारित प्रक्रिया के तहत उसका विरोध किया जा सकता है। मगर हैरानी की बात है कि ऐसी टिप्पणियों की गंभीरता और संवेदनशीलता को समझे बिना कई लोग हटके तरीके से ऐसा बोल जाते हैं, जिससे किसी के लिए जटिल हालात पैदा हो सकते हैं।

आवाज का सम्मोहन

कई बार कोई शख्स अपने व्यक्तित्व के किसी ऐसे खास पहलू से पहचाना जाने लगता है, जो बहुत सारे लोगों के दिल-दिमाग में ठहर-सा जाता है। अमीन सयानी की आवाज और उसके जरिए किसी कार्यक्रम की प्रस्तुति के अंदाज में वही जादू और सम्मोहन था, जिसकी वजह से आज दुनिया भर में लोग उन्हें जानते और याद करते हैं। अब उनके जाने के बाद लोग उन्हें बस याद कर पाएंगे, मगर उनकी आवाज साथ में आसपास कहीं गूंज रही होगी। दरअसल, उनके व्यक्तित्व को एक पहचान देने में उनकी आवाज के साथ किसी कार्यक्रम को पेश करने का उनका सलीका और अंदाज उन तमाम लोगों के दिल में आज भी बसा होगा, जो उस दौरान रेडियो सीलोन पर ‘बिनाका गीत माला’ सुनने के लिए अलगा से वक्त निकालते थे। उस दौर के लोग याद कर सकते हैं कि कैसे श्रोता रेडियो सीलोन का सिग्नल लगाने के लिए आसपास जगह बदलते थे, उसकी ‘लाल सुई’ को खिसकाते या रेडियो का रुख बदलते थे, तो कभी आवाज धीमी होने या टूटने की वजह से कान में रेडियो लगा कर गौर से सुनने की कोशिश करते थे। रेडियो पर उनके किसी कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही कई बार यह भी होता था कि अमीन सयानी की आवाज बाद में आती थी, सुनने वाले किसी व्यक्ति के मुंह से उसी अंदाज में पहले निकल जाता था- ‘बहनों और भाइयों..!’ उस दौर में रेडियो के जरिए जिस स्वरूप में लोगों को मनोरंजन मिल रहा था, उसमें अमीन सयानी ने अपने कार्यक्रमों से एक खास तरह की गरिमा भरी थी। उनके नाम कई रिकार्ड और पुरस्कार हैं। मगर सबसे अहम पहलू यह था कि क्लिष्ट भाषा के बजाय वे जिस बोलचाल की जुबान में कार्यक्रम पेश करते थे, वह साहित्य प्रेमियों से लेकर आम लोगों तक के दिल में उतरती थी। न जाने कितने लोग होंगे, जो उनके जरिए हिंदी के साथ उर्दू, फारसी शब्दों और गीतों से जुड़े ब्योरों से पहली बार रूबरू हुए होंगे। आज तकनीक की दुनिया ने इतना तो कर ही दिया है कि मशहूर कार्यक्रम बिनाका गीत माला की यादों पर केंद्रित ‘सारेगामा कारवा’ से लेकर अन्य रेडियो श्रृंखलाओं और साक्षात्कारों के जरिए लोग जब चाहे उनकी आवाज और उनके अंदाज के साथ हो लेंगे, मगर इसके लिए उनके स्वर की संवेदना के सम्मोहन में भी गहरे उतरना होगा।

विस्फोटक हादसों के गुनहगार

कानून के पालन में ढिलाई का परिणाम है कि मध्य प्रदेश राज्य के हरदा जिले में अवैध पटाखा कारखाने में हुए भीषण विस्फोट से तेरह मौतें हुईं और दो सौ से अधिक घायल हो गए।

विनोद के शाह

कानूनी बंदिशों का अनुपालन कराने के बजाय सस्ता वैकल्पिक रास्ता सुझाकर गैर-कानूनी कारोबार के लिए आसान मार्ग सुलभ कराने वाले जिम्मेदार शासकीय सेवक भी अपराध में बराबर के साझेदार होते हैं। नियमों को दरकिनार कर आसान अनुमति या अपने निगरानी क्षेत्र में गैर-कानूनी रूप से संचालित कारोबार या गतिविधियों पर आंखें बंद कर हादसों की जमीन तैयार कराने वाले शासकीय सेवकों पर आपराधिक कानूनी धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के बजाय, संपूर्ण कार्यपालिका बचाव की प्रक्रिया में सक्रिय हो जाती है। अंततः होता यह है कि हादसे-दर-हादसे होते रहते हैं। वहीं, आपराधिक प्रमाणों में कटौती या हेराफेरी करने से प्रत्यक्ष मुख्य अपराधी भी सजा से बच निकलता है। सिर्फ आम जनमानस हादसों की चपेट में आकर खमियाजा भुगतने को मजबूर होता है। लापरवाही की सजा न मिलने का ही परिणाम है कि जिम्मेदार शासकीय सेवक प्रत्येक हादसे को लेकर और उसके बाद भी तमाशबीन बने रहते हैं।

कानून के पालन में ढिलाई का परिणाम है कि मध्यप्रदेश राज्य के हरदा जिले में अवैध पटाखा कारखाने में हुए भीषण विस्फोट से तेरह मौतें हुईं और दो सौ से अधिक घायल हो गए। घटनास्थल के आसपास एक किमी क्षेत्र पूरी तरह वीरान हो गया। घायलों के शरीर से बारूद, धातुओं और पत्थरों के टुकड़े निकल रहे थे। विस्फोटक सामग्री घायलों के फेफड़ों में तक घुस चुकी थी। घटना स्थल के पास सड़कों पर खड़े ट्रकों और भारी वाहनों के परखच्चे उड़ गए थे। सन 2015 से यह कारखाना अवैध रूप से कृषि भूमि पर चल रहा था। बारूद कारखाने के स्थान पर फसलों का उत्पादन दिखाकर उन्हे शासकीय समर्थन मूल्य पर तौला जा रहा था। इतना ही नहीं, 2015 के बाद इस कारखाना भूमि का फसल क्षति बीमा दावा दिलाने का कार्य भी तत्कालीन शासकीय तहसील के सेवकों द्वारा बखूबी किया गया।

संचालकों के पास सीमित मात्रा में पटाखा भंडारण का लाइसेंस था। मगर तय मात्रा से कई गुना अधिक भंडारण के साथ ही पटाखों का अवैध निर्माण सतत जारी था। पचास से अधिक बाल मजदूर रोजाना दो सौ रुपए की दिहाड़ी पर कार्यरत थे। भंडारण की अनुमति के तुरंत बाद जुलाई 2015 में कारखाने में हुए हादसे में दो मजदूरों की मौत हुई थी। उक्त घटना के समय प्रशासन के तत्कालीन एसडीएम ने सुरक्षा मानकों में गंभीर चूक का हवाला अपनी जांच रपट में दिया था। रपट के आधार पर तत्कालीन जिलाधीश ने बारूद गोदाम संचालन पर रोक लगाकर ताले जड़ दिए थे। इस विस्फोट और मजदूरों की मौत के प्रकरण में सन 2021 में स्थानीय जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए कारखाना संचालक को दस वर्ष की कैद और अर्थदंड लगाया था। मगर उच्च न्यायालय से मिली जमानत और तत्कालीन संभागीय आयुक्त ने जिलाधीश के आदेश के विरुद्ध की गई अपील में तालाबंदी आदेश पर स्थगन देकर कारखाना मालिक को विस्फोटक भंडारण की अनुमति दे दी थी। उसके बाद आगे सुनवाई भी कभी नहीं हुई है।

विस्फोटक भंडारण की अनुचित मात्रा और पटाखा अवैध निर्माण तबसे



निरंतर जारी था। मगर स्थगन आदेश के बाद आयुक्त कार्यालय में प्रकरण की अगली सुनवाई अब तक नहीं हो सकी है। सरकारी लापरवाही और स्थानीय प्रशासन की दूसरी आपराधिक भूमिका यह भी रही है कि उक्त अवैध कारखाना भवन के पास ही सरकारी खर्च पर प्रधानमंत्री आवास

देशभर में बगैर वस्तुकर चुकाए, चलाए जा रहे इस अवैध पटाखा कारोबार पर पिछले वर्ष सेवा एवं वस्तुकर अधिकारियों ने विक्रीकर चोरी के तहत 57 लाख रुपए का दंड गोदाम मालिकों पर लगाया था। मगर इसके बाद भी स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग इस अवैध कारोबार के खिलाफ सख्ती नहीं बरत सके थे। इस सत्वाई को प्रशासनिक लापरवाही कहना उचित होगा या अनुचित व्यापार लाभ देने का प्रशासनिक संरक्षण? यह शासन को तय करना पड़ेगा। दोनों ही तरह के हालात जिम्मेदार अधिकारियों को दंड की परिधि में खड़ा करने वाले हैं।

योजना के अंतर्गत कुटी आबंटन और निर्माण कराकर पटाखा कारखाने के मजदूरों की आवास कालोनी विकसित कर दी गई है। इस कालोनी के

मजदूरों को शासकीय मुफ्त राशन और आयुष्मान योजना से भी जोड़ा गया था। जबकि अधिकांश मजदूर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से हैं। हादसे के बाद अधिकांश मजदूर परिवार इस कालोनी से लापता हो गए हैं।

शासकीय लापरवाही यह भी है कि जिस संभागीय आयुक्त ने कलेक्टर के आदेश पर स्थगन देकर गोदाम के पुनः संचालन की अनुमति दी थी, वे इंदौर संभाग के वर्तमान आयुक्त के पद पर आसीन होकर घटना की जिम्मेदारी से स्वयं को पूर्णतया मुक्त मानते हैं। गोदाम और कारखाना संचालकों के पास पर्यावरण संबंधी कोई भी लाइसेंस नहीं था। देशभर में बगैर वस्तुकर चुकाए चलाए जा रहे अवैध पटाखा कारोबार पर पिछले वर्ष सेवा एवं वस्तुकर अधिकारियों ने विक्रीकर चोरी के तहत 57 लाख रुपए का दंड गोदाम मालिकों पर लगाया था। मगर इसके बाद भी स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग इस अवैध कारोबार के खिलाफ सख्ती नहीं बरत सके थे। इस सच्चाई को प्रशासनिक लापरवाही कहना उचित होगा या अनुचित व्यापार लाभ देने का प्रशासनिक संरक्षण? यह शासन को तय करना पड़ेगा। दोनों ही तरह के हालात जिम्मेदार अधिकारियों को दंड की परिधि में खड़ा करने वाले हैं।

ऐसा नहीं कि हरदा शहर का यह दिल दहलाने वाला हादसा देश या प्रदेश की पहली घटना हो, जिसके कारण सरकारा को निर्णय लेने में समय लगा रहा है। 31 अक्टूबर 2023 को मग के ही दमोह जिले के भीड़भाड़ वाले बाजार में स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाकों में पांच लोगों की मौत हुई थी। प्रदेश के ही मुरैना जिले में 20 अक्तूबर, 2023 को पटाखा फैक्ट्री में आगजनी और धमाके में चार लोगों की मौत हुई थी। प्रदेश के झाबुआ जिले की पटलावद तहसील में नौ वर्ष पूर्व बस अड्डे के नजदीक स्थित विस्फोटक सामग्री के एक गोदाम में हुए धमाकों में 79 लोग काल कवलित और सैकड़ों लोग अपंग हो गए थे। मगर अब सारे अपराधी दोष मुक्त हो गए हैं। सरकार ने भी तत्कालीन पुलिस थाना प्रभारी की मात्र सोलह सौ रुपए की एक पदोन्नति रोक कर अपने न्याय का डंका बजवा लिया था।

ये सभी मामले प्रशासनिक लापरवाही और मिलीभगत के परिणाम थे। मगर दोषी प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी हमेशा दंड के दायरे से बाहर ही रहे हैं। सरकार द्वारा घटना के तुरंत बाद दोषी करार देकर निलंबित किए जाने वाले अधिकारी और कर्मचारी पुनः बहाल कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के सहानपुर की पटाखा फैक्ट्री में लापरवाही से मौत के हालात रहे हों या तमिलनाडु के शिवकाशी में प्रतिवर्ष होने वाले पटाखा कारखानों में आग और धमाकों से मासूमों की मौतें, राज्य सरकारों मौतों का मामूली मुआवजा बांटकर अपने कर्तव्य से विमुक्त हो जाती हैं। प्रत्येक घटना के बाद सरकारें यही कहती नजर आती हैं कि भविष्य में घटनाओं पर रोक लगाने के साथ दोषियों पर कड़े दंड की कार्यवाही होगी! लेकिन सजा का लेखाजोखा जनता प्रत्येक दफा देखती आ रही है। घटना की जांच के लिए बनाए जाने वाले आयोगों और समितियों की रपटों को सार्वजनिक करने का प्रयास भी इसलिए नहीं होता कि जनता घटना को भूल चुकी है। देशभर में अधिकारण पटाखा निर्माण और विस्फोटक भंडारण गैर-कानूनी ढंग से संचालित होकर जीएसटी चोरी, पर्यावरण नुकसान, बाल मजदूरों का शोषण और मानवाधिकारों के हनन से जुड़ा है। लेकिन निगरानी से जुड़ा प्रशासनिक तंत्र और जिम्मेदार संस्थाएं इस सुरक्षा संबंधी अतिसंवेदशील मामले में कठसरे में हैं।

मासूमों की फिक्र

‘हिंसक होते बच्चे’ (संपादकीय, 16 फरवरी) पढ़ा। बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। उनके बीच जाति-धर्म की कोई दीवार नहीं होती है। वे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन आजकल बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती देखी जा रही है। खेलने-कूदने की उम्र में नधन्य अपराधों में भी किशोरों के शामिल होने की घटनाओं ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। बच्चों की इस बदलती मनोदशा को समझने की आवश्यकता है। पहले के जमाने में परिवार के बुजुर्गों द्वारा बच्चों को जीवन बुनने की कहानियां सुनाई जाती थीं। आज उसकी जगह टेलीविजन और मोबाइल ने ले लिया है और बच्चों को एक आभासी दुनिया मिल रही है, जिसमें निराशा और हताशा उपजना एक सामान्य-सी बात है। संयुक्त परिवार विखरता जा रहा है। बच्चों पर ध्यान देने वाले लोग नहीं मिल पाते। खेल के मैदान गायब होते जा रहे हैं। बचपन मोबाइल गेम में सिमटता जा रहा है। आनलाइन गेम की वजह से बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति और अकेले रहने की आदत बढ़ती जा रही है। ऐसे में विकल्प यही है कि माता-पिता को बच्चों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए।

- हिमांशु शेखर, केसया गया

विश्वसनीयता की परीक्षा

उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा के मामले में हाल ही में संधमारी के कुछ मामले सामने आए हैं, जिन्हें पुलिस ने गंभीरता से लिया है। हालाँकि यह चिंता का विषय है, क्योंकि प्रश्नों का हल करने वाले गिरोहों ने योजनाबद्ध ढंग से परीक्षा में घुसपैठ की थी। मगर प्रशासन की प्रतिक्रिया भी राहत भरी रही कि ऐसे अनेक आरोपियों को पकड़ा गया। हालाँकि इस मामले में और भी विस्तारित जांच की आवश्यकता है, क्योंकि संगठित ढंग से इस धांधली को आयोजित किया गया हो सकता है।
कोचिंग संस्थाओं के संचालकों पर

भ्रष्टाचार के विरुद्ध

चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक ठहराने से अपारदर्शी लेन-देन फिलहाल प्रतिबंधित होंगे और राजनीतिक दलों को बांड की जरूरत है, ताकि उम्मीदवारों में विश्वास आयोग का काम भी आसान होगा, निष्पक्षता बढ़ेगी। चंदा लेने और देने वालों के नामों को उजागर करने की अनिवार्यता से सियासी दल

अतिक्रमण की राह

ज चार पहिया वाहन रखने को कई बार ऊंची हैसियत और शान का पर्याय माना जाता है। मगर कुछ लोग कार तो ले लेते हैं, मगर गाड़ी खड़ी करने के लिए उचित जगह नहीं होने की वजह से इसे अपनी सुविधा से सड़क किनारे कहीं भी खड़ी कर देते हैं। जबकि इस तरह खड़े हुए वाहनों से निकलने वालों को खुद भी दिक्कत होती है। सफाई कर्मी सुबह सफाई करते हैं। गाड़ी खड़ी होने से उनके काम में बाधा आती है। इस तरह ऐसा करने वाले लोग सड़क पर अतिक्रमण के जिम्मेदार है। ऐसा भी संभव है कि सड़क पर गाड़ी खड़ी करने से कभी चालान भी कट सकता है। अगर किसी को बड़े वाहन लेना ही है तो समझवारी यही है कि पहले उसकी पार्किंग की व्यवस्था कर ली जाए। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों की वजह से कई बार संकरे रास्ते में जाम लग जाता है।

- दिलीप कुमार गुप्ता, बरेली

धर्मदं जोशी

समय के पहिये थमते नहीं। कभी विश्राम नहीं करते। अपनी नियत गति से, निर्बोध, प्राकृतिक लय से चलते रहते हैं। मनुष्य का जीवन भी समय चक्र की घूर्णन गति के सापेक्ष विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए अपने अंतिम पायदान पर पहुंच ही जाता है। बालपन की अबोध भंगिमा कब सयानी हो जाती है और कब उत्तरगढ़ की बेला आ जाती है, पता ही नहीं चलता। जीवन का हर पड़ाव महत्त्वपूर्ण है और स्मृतियों का खजाना भी, जिसमें कुछ खट्टी तो कुछ मीठी यादों की गठरी सहेज कर रखी जाती है, जो बीते बचपन, छुट्टी युवावस्था और साथ चलती पके बालों की उम्र को भी साधने का काम करती है।

पांच दशक पहले गांव, कस्बे और छोटे शहरों का बचपन आज के बचपन से बिल्कुल अलहदा था, संयुक्त परिवारों की छांव में, सघनता से बुने हुए रिश्तों का एक अटूट बंधन बच्चों को जन्म से ही मिलता था, जिसके सुवासिस्त वातावरण में उन्मुक्त बाल्यकाल गुजरता था। उसमें नानी-दादी की कहानियां धर्म और अध्यात्म से जुड़ाव एक दूसरे के प्रति सम्पूर्ण ममत्व की भावना और गहन गंभीर संस्कारों के चलते बाल्यावस्था का समग्र समय बहुत ही आसानी गुजर जाता था। इसके ठीक विपरीत आज बच्चों के बचपन को समय के पहले ही खत्म किया जा रहा है। धातुकता का स्थान यांत्रिकता ने ले लिया है। यही कारण है कि परिवार और रक्त संबंधियों के बीच भी भाव भरे रिश्तों का निरांत अभाव देखा जा रहा है। छोटी-छोटी बात पर आपसी संबंधों में तुरंत कटुता पैदा हो जाती है। मनमाफिक काम न होने पर बच्चे से लेकर बड़े तक आपा खो देते हैं। जैसे-जैसे भौतिक सुखों और सुविधाओं का लाभ लोगों को मिलने लगा है, उसी अनुपात में आत्महत्याओं की संख्या का ग्राफ भी बढ़ा है। बीमारी चकावंध तो खूब दिखाई दे रही है, मगर मन के कोने में गहन अंधकार सामया हुआ है।

वे दिन पता नहीं कहाँ गए, जब गांव में किसी के यहां शादी होती थी और खुशी सारा गांव मनाता था। पड़ोस में आए मेहमान के लिए सारी व्यवस्थाओं का भार पड़ोसी ही उठा लेते थे। जब बेटियां घर से विदा होती थीं, तो आसपास वाले की आंखें भी पनीली हो जाती थीं। आजकल जीवन तो आगे बढ़ रहा है, मगर जीवन मूल्यों में गिरावट का दौर लगातार जारी है। एक दूसरे का समय-समय पर सहयोग, दुख और सुख में खड़े रहने की भावना, रिश्तों को निभाने की प्रबल इच्छा और स्नेह की डोर भी अब टूटने लगी हैं। आज किसी भी घटना का लोगों के दिलों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक अजीब खालीपन लोगों के मन में घर कर गया है, जिसका भरना अत्यंत आवश्यक है, ताकि स्नेह के रिश्तों का जुड़ाव कायम रहे।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com

chaupal.jansatta@expressindia.com



महिला अधिकार असंवैधानिक नियम

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि विवाह या पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण महिलाओं को रोजगार से हटाने के नियम असंवैधानिक हैं। एक उल्लेखनीय फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने विवाह करने पर महिलाओं को रोजगारों से अनिवार्य रूप से हटाने वाले नियमों को ‘आदिमकालीन, भेदभावपूर्ण तथा संवैधानिक सिद्धान्तों का उल्लंघन करने वाला’ बताया है। यह निर्णय जेंडर समानता तथा महिला अधिकार संरक्षण की दिशा में मील का एक पत्थर है। दशकों से अनेक रोजगार क्षेत्रों में महिलाओं को अपने वैवाहिक स्तर या पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण नौकरी से बाहर कर दिया जाता था। ऐसे भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण न केवल जेंडर असमानता को बढ़ावा मिलता है, बल्कि महिला की आर्थिक स्वतंत्रता तथा पेशेवर प्रगति भी बाधित होती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे नियम खारिज करना जेंडर न्याय तथा कार्यस्थल समानता के दृष्टिकोण से महिलाओं की विजय है। इसके साथ ही कानून के समक्ष समानता तथा जेंडर के आधार पर भेदभाव-निषेध की संवैधानिक गारंटी भी पूरी हुई है। यह समाज को ऐसी बुराइयों से मुक्त करने का प्रयास है जो महिलाओं को अविश्वसनीय व धोखेबाज मानता है क्योंकि वे अपने परिवारों के लिए बीच में रोजगार छोड़ देती हैं। ऐसे प्रतिगामी नियमों का विस्तार व्यक्तिगत रूप से महिलाओं से आगे जाता है और वे असमानता की संस्कृति बढ़ाने तथा हानिकारक पूर्वाग्रह मजबूत करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इन बाधाओं को तोड़ कर न्यायपालिका ने व्यवस्थागत जेंडर भेदभाव को समाप्त करने तथा ज्यादा समावेशी व समतापूर्ण समाज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निश्चित रूप से समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले परिवर्तन समाज के भीतर से आने चाहिए, पर एक प्रगतिशील समाज सुनिश्चित करने के लिए उनका विधिक संरक्षण जरूरी है।



यह निर्णय बिना किसी प्रकार की मनमानी बाधाओं के महिलाओं के काम करने तथा कैरियर अवसरों का लाभ उठाने के अधिकारों का महत्व रेखांकित करता है। महिलाओं को व्यक्तिगत जीवन तथा पेशेवर महत्वाकांक्षाओं के बीच चयन के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनको अपनी शर्तों पर दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके साथ ही महिलाओं को रोजगार अवसरों से वंचित करने के अनेक आर्थिक दुष्प्रभाव होते हैं। कार्यस्थल पर जेंडर समानता न केवल सिद्धान्त का मामला है, बल्कि यह आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। जेंडर को अनदेखा कर सभी व्यक्तियों की प्रतिभा और क्षमता का लाभ उठाना खोज, उत्पादकता तथा समृद्धि की तलाश करने वाले समाजों के लिए शिक्षा, जागरूकता अभियान व एडवोकेसी अनिवार्य उपकरण हैं। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महिला अधिकारों के लिए संघर्ष में मील का एक पत्थर है, पर यह अभी जेंडर समानता के व्यापक आंदोलन की दिशा में शुरुआत है। सभी पक्षों की ओर से सकारात्मक प्रयास सचमुच समावेशी और समान समाज बनाने के लिए लगातार प्रयास जरूरी हैं जिनमें सरकारें, सेवायोजक, सिविल सोसाइटी और व्यक्ति शामिल हैं। हम प्रसन्न हो सकते हैं कि महिलाओं के समक्ष मौजूद एक और बाधा टूटी है तथा अदालत को इस उल्लेखनीय फैसले के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए।



संतोष मैथ्यू
(लेखक, असॉसियेट प्रोफेसर हैं)

यूनेस्को के तत्वावधान में हर साल 21 फरवरी को ‘अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस’ मनाया जाता है। इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन की घोषणा पहले 1999 में युनाइटेड नेशन्स एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन-यूनेस्को ने भाषाई व सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहन देने के लिए की थी। वर्ष 2000 से इसे हर साल मनाया जाता है। 2024 में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम ‘पीढ़ीगत शिक्षण के लिए बहुभाषी शिक्षा स्तंभ’ है। इस तिथि का ऐतिहासिक महत्व है। इस दिन तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान व वर्तमान बांग्लादेश के छात्रों ने 1952 से जारी भाषा आंदोलन में अनेक बलिदान दिए थे। वे अपनी भाषा-बांग्ला को पाकिस्तान की एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाना चाहते थे। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की 54.1 प्रतिशत जनसंख्या बांग्ला बोलती थी। इस्लामी पहचान के बावजूद पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के बीच अनेक भाषाई, सांस्कृतिक, नस्ली और भौगोलिक विरोधाभास थे। इस सांस्कृतिक टकराव के दौरान इस्लामाबाद के शासकों ने उर्दू को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया था।

इस प्रकार उन्होंने बांग्ला भाषा को पूरी तरह अनदेखा किया था जिसे जनता अपने दिल के निकट मानती थी। उस समय पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका में प्रतिशत जनसंख्या बांग्ला बोलती थी। हजारों छात्र एकत्र हुए थे और उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। पश्चिमी पाकिस्तान ढाका विश्वविद्यालय तथा ढाका मेट्रिकल कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन बलपूर्वक कुचल देना चाहता था। भाषा आंदोलन के खिलाफ फौजी कार्रवाई में अनेक अन्य लोगों के साथ छात्र नेता अब्दुल सलमान, रफीकुद्दीन अहमद, अब्दुल बलखाद और अब्दुल जब्बार शहीद हुए थे। 21 फरवरी, 1952 से शुरु हुए इस भाषा आंदोलन को अंततः सफलता मिली थी और उर्दू के साथ बांग्ला को अविभाजित पाकिस्तान की मातृभाषा माना गया था।



मातृभाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक पहचान, हमारी विरासत की संरक्षक तथा एक ऐसा सेतु है जो हमें अपनी पुरानी पीढ़ियों के विवेक से जोड़ता है। लेकिन आज समय बीतने के साथ अनेक भाषायें गायब हो रही हैं। अनुमान है कि हर दो सप्ताह में दुनिया से एक भाषा गायब हो जाती है। भविष्य में लगभग 43 प्रतिशत बोली जाने वाली भाषायें गायब हो जाएंगी। यूनेस्को द्वारा इस दिवस की घोषणा का उद्देश्य भाषाओं के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देना है। दुनिया में लगभग 6000 भाषायें हैं जिनमें से कुछ के पास लिपि है और कुछ के पास नहीं। दुनिया में चीनी या मंडारिन सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है जिसे विश्व जनसंख्या का 16 प्रतिशत अपनी मातृभाषा के रूप में बोलता है। इस दृष्टिकोण से अंग्रेजी और हिन्दी का दूसरा और तीसरा स्थान है। अनेक भाषायें बोलने में सक्षम लोगों को ‘बहुभाषी’ कहा जाता है।

वर्तमान वैश्वीकृत समाज में अधिकाधिक भाषाओं में दक्षता को बहुत बड़ा कौशल माना जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव 17 भाषायें धाराप्रवाह बोल सकते थे और इस प्रकार वे ‘बहुभाषी’ लोगों का अच्छा उदाहरण थे। वर्तमान समय में 3000 से अधिक भाषायें संकटग्रस्त हैं। 1950 के बाद से बांग्ला को अविभाजित पाकिस्तान की मातृभाषा माना गया था।

बोकोवा के नेतृत्व में संकटग्रस्त भाषाओं के संरक्षण की अनेक परियोजनायें चलाई गई थीं। इनमें से एक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थापित ‘इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज इंस्टीट्यूट’ है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की सहायता से मातृभाषाओं के प्रोत्साहन की अनेक योजनायें शुरू की गई हैं। 2008 को ‘अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस’ के रूप में मनाया गया था और गायब होती भाषाओं को संरक्षण देने के प्रयास किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र नीत सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में चौथा स्थान मातृभाषा के माध्यम से बेहतर और ज्यादा समावेशी शिक्षा को दिया गया है। संरा. अनुमानों के अनुसार दुनिया में बोली जाने वाली लगभग 7000 भाषाओं के अगली पीढ़ी में बने रहने की कोई गारंटी नहीं है। इनमें से 98 प्रतिशत भाषाओं का प्रयोग दुनिया की केवल 4 प्रतिशत जनसंख्या करती है। भाषाविदों ने पता लगाया है कि एशिया और अफ्रीका के कुछ समाजों में कुछ भाषायें केवल महिलायें बोलती हैं।

कर्नाटक के गुलबर्गा व महाराष्ट्र के शोलापुर में अब भी लोकप्रिय ‘दखिनी’ ऐसी ही एक भाषा है। 2011 की जनगणना के अनुसार, संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषायें दर्ज हैं जिनमें 121 मातृभाषायें शामिल हैं। भारत की जनसंख्या का 43.6 प्रतिशत, यानी 52.8 करोड़ लोग हिन्दी बोलते हैं। इसके अलावा की पूर्व महानिदेशक इरिना

भाषा बांग्ला है। मातृभाषा के रूप में अंग्रेजी बोलने वाले 2.6 लाख लोगों में से एक लाख से अधिक महाराष्ट्र में हैं। दूसरी भाषा के रूप में पूर्वोत्तर राज्यों में हिन्दी के बजाय अंग्रेजी को पसंद किया जाता है। 2011 में मणिपुरी मातृभाषा वाले 17.6 लाख लोगों में से 4.8 लाख लोगों ने अंग्रेजी को अपनी दूसरी भाषा माना था। हालांकि, हिन्दी के साथ अंग्रेजी को केन्द्र सरकार की दो आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया गया है, पर यह आठवीं अनुसूची की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। इसे उन 99 भाषाओं में स्थान दिया गया है जो इस अनुसूची में नहीं हैं। मातृभाषा के दृष्टिकोण से भारत में अंग्रेजी बोलने वाले केवल 2.6 लाख लोग थे जो जनगणना में शामिल 121 करोड़ लोगों का बहुत छोटा हिस्सा है। फिजी में हिन्दी आधिकारिक भाषा है जिससे 44 प्रतिशत जनसंख्या बोलती है। इस प्रकार प्रतिशत के दृष्टिकोण से फिजी में हिन्दी बोलने वालों की संख्या भारत से अधिक है।

भारत भाषाई विविधता से भरा देश है। यहां हिन्दी और अंग्रेजी के साथ 22 क्षेत्रीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार आधिकारिक दर्जा दिया गया है। लेकिन हमारी पैतृक भाषा संस्कृत का प्रभाव समाज में घट रहा है। 15,000 से कम लोग बोलने वाली भाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग करते हैं। हालांकि, केन्द्र और राज्य सरकारों ने

संस्कृत को प्रोत्साहन देने की अनेक योजनायें बनाई हैं, पर संस्कृत में केवल एक दैनिक ‘सुधर्म’ प्रकाशित होता है। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने संस्कृत को अपनी आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया है। 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1,662 भाषाओं को ‘मातृभाषा’ माना गया था। लेकिन 2011 की जनगणना में केवल 234 भाषाओं को मातृभाषा माना गया है। पचास साल से कम समय में 800 से अधिक मातृभाषायें विलुप्त हो गई हैं।

निहाली को अब भी मातृभाषा माना जाता है जिसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 15 गांवों में लगभग 15,000 लोग बोलते हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र के एक गांव में लगभग 1,000 पुर्तगाली बोलने वाले लोग हैं। यूनेस्को ने ऐसी 197 भारतीय भाषाओं की सूची बनाई है जो विलुप्त हो सकती हैं। अंग्रेजी, स्पैनिश और फ्रेंच भाषाओं ने अपनी लिपि विकसित नहीं की, बल्कि उन्होंने लिखने के लिए लैटिन लिपि स्वीकार कर ली। हिन्दी भाषा की भी अपनी लिपि नहीं है और वह देवनागरी लिपि का प्रयोग करती है।

बांग्लादेश के राष्ट्रगान ‘आमार सोनार बांग्ला’ को रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 में बंगाल के पहले विभाजन के समय लिखा था। विश्व भारती में रवीन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य आनन्द समरकून ने श्रीलंका का राष्ट्रगान ‘नमो नमो माथा’ लिखा था। 2009 में समाप्त होने वाले श्रीलंका के गृहयुद्ध के दस दशक पहले सिंहली के शिष्य तमिल को श्रीलंका की आधिकारिक भाषा माना गया था। केन्द्र सरकार के अनुसार, 1961 से 200 से अधिक भारतीय भाषायें विलुप्त हो गई हैं। इनमें से अधिकांश भाषाओं का प्रयोग आदिवासी समुदाय करते थे। 1961 की जनगणना के बाद सरकार ने 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया। हमें स्वीकार करना चाहिए कि भाषाओं का गायब होना केवल शब्दों का गायब होना नहीं, बल्कि संस्कृति व परंपराओं का गायब होना भी है। नोम चॉमस्की के अनुसार, ‘भाषा केवल शब्द नहीं हैं। यह संस्कृति, परंपरा, एक समुदाय का एकीकरण और समुदाय का पूरा इतिहास है। ये सारी चीजें भाषा में अंतर्निहित हैं।’ इसे देखते हुए भाषाओं में संकट का प्रभाव समाज में घट रहा है। 15,000 से कम लोग बोलने वाली भाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग करते हैं। हालांकि, केन्द्र और राज्य सरकारों ने

आम चुनावों में कृत्रिम बुद्धि व डिजिटल मीडिया

“

यह देखते हुए कि एआई संभवतः हमारे चुनावों को कैसे प्रभावित करेगा, हमें कई मोर्चों पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

”



पूजा कपूर
(लेखिका, सह प्रोफेसर हैं)

आजकल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लॉकचेन और नैनोटेक्नोलॉजी जैसी प्रौद्योगिकियों से जुड़े हुए हैं। जैसे-जैसे यह आगे बढ़ता है, यह आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों के अलावा कई निर्भरताएँ, शक्ति संघर्ष, प्रतिद्वंद्विता, जोखिम और अवसर पैदा करता है। इसमें चुनावी माहौल को पूरी तरह से बदलने की शक्ति है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए लाभ और कठिनाइयों दोनों प्रदान करता है।

उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एआई द्वारा संचालित एल्गोरिदम का उपयोग सभी सोशल मीडिया साइटों द्वारा किया जाता है। राजनीतिक रणनीति

निर्धारित करने के लिए इन एल्गोरिदम का उपयोग महत्व बढ़ रहा है। परिणामस्वरूप, मतदाता खुद को अलग-थलग सूचनात्मक बुलबुले में पा सकते हैं जो विरोधी विचारों के प्रति उनके जोखिम को सीमित करते हैं और उनके मतदान निर्णयों और प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकते हैं। डीपफेक, या ऐसे वीडियो जिन्हें प्रामाणिक दिखने के लिए बदल दिया गया है, का उपयोग झूठी कहानियाँ फैलाने और विरोधियों को बदनाम करने के लिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया बॉट संदेशों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर सकते हैं और नकली रूझान बना सकते हैं, जिसका उपयोग उन लोगों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है जो निश्चित नहीं हैं कि किसे वोट देना है। एआई-संचालित दुष्प्रचार की जटिलता से तथ्य को कल्पना से अलग करना कठिन हो जाता है, जो चुनावों के दौरान अच्छी तरह से सूचित निर्णय लेने के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है।

चूंकि प्रौद्योगिकियाँ अधिक परिष्कृत होती जा रही हैं, इसलिए अवैध गतिविधियों

को विदेशी अभिनेताओं (आतंकवादी संगठनों या स्लीपर सेल) से जोड़ना और पहचानना अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। इससे उन्हें जिम्मेदार ठहराना और भविष्य में हस्तक्षेप रोकना अधिक कठिन हो सकता है। एआई-संचालित बॉट्स को विदेशी सरकारों और ट्रोल फार्मों द्वारा तैनात किया गया था, जिनके साथ वे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर फर्जी पहचान और भ्रामक जानकारी के नेटवर्क के साथ जुड़े हुए थे, जिसका उद्देश्य जनता की राय को प्रभावित करना था।

इन बॉट्स ने अन्य उम्मीदवारों के खिलाफ नकारात्मक रूढ़िवादिता और साजिशों का प्रचार किया, कुछ संचार को बढ़ाया, और यह धारणा दी कि एक विशेष उम्मीदवार को व्यापक समर्थन मिल रहा था। कुछ महीने पहले जब भारतीय प्रधानमंत्री का डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हमें इसकी एक झलक मिली। यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है क्योंकि इसका उपयोग मतदाताओं के निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए,

राजनीतिक परामर्श फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका ने अरबों फेसबुक खातों से एकत्रित जानकारी का उपयोग करके मतदाताओं के व्यापक मनोदैहिक प्रोफाइल बनाए। इस डेटा का उपयोग करके, वे इन व्यक्तियों को अनुकूलित सोशल मीडिया संदेशों और विज्ञापनों के साथ लक्षित करने में सक्षम थे, जिसका प्रभाव 2016 और 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के साथ-साथ फिलीपीन मध्यावधि चुनावों में उनके मतदान करने के तरीके पर पड़ सकता है। सकारात्मक पक्ष पर, सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता लोकतंत्र का समर्थन और संवर्धन कर सकते हैं। सुक्ष्म-लक्षित मतदाताओं के लिए एआई की क्षमता इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में एक है। इसमें जनसांख्यिकी, सोशल मीडिया गतिविधि और इंटरनेट आचरण सहित ढेर सारे डेटा का उपयोग करके मोडिया पर वायरल हुआ तो हमें इसकी एक झलक मिली। यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है क्योंकि इसका उपयोग मतदाताओं के निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए,

संभावना रखते हैं। उदाहरण के लिए, भावना विश्लेषण तकनीक उपरते मुद्दों का पता लगा सकती है और जनता की राय को माप सकती है, जिससे अभियानों को अपने संदेश को संशोधित करने और उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है जो मतदाताओं के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।

एआई-संचालित चैटबॉट सामान्य प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और मतदाताओं को चर्चासों घंटे सूचित कर सकते हैं, जिससे अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मानव संसाधन मुक्त हो सकते हैं। डेटा-संचालित मॉडल मतदाता मतदान का पूर्वानुमान लगाकर और संसाधनों का इष्टतम आवंटन करके अभियान की प्रभावकारिता और सामर्थ्य में सुधार करते हैं। एआई और सोशल मीडिया का उपयोग जागरूकता बढ़ाने, बड़े दर्शकों तक पहुंचने और शिकायतों का समाधान करने के लिए किया जा सकता है। चुनाव आयोग प्रासंगिक जानकारी सोशल मीडिया पर साझा कर सकता है। शिकायतों का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट

एआई-आधारित चैटबॉट तैनात कर सकती है। एआई एल्गोरिदम तथ्य-जाँच उपकरणों के उपयोग से सच्ची खबर को झूठी खबर से अलग कर सकता है। भारत जैसे बड़े देश में, सोशल मीडिया के उपयोग को नियंत्रित और विनियमित करना लगभग कठिन है। इसलिए, यदि हम समस्या को हल करने में असमर्थ हैं, तो हमें समाधान खोजना चाहिए। यह देखते हुए कि एआई संभवतः हमारे चुनावों को कैसे प्रभावित करेगा, हमें कई मोर्चों पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। चुनावी बुनियादी ढांचे और मतदाता डेटा पर हमलों को रोकने के लिए सबसे पहले मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।

दूसरा, दुष्प्रचार और प्रचार को पहचानने और अस्वीकार करने के लिए, मतदाताओं को अपनी मीडिया साक्षरता और आलोचनात्मक सोच क्षमताओं को सुधारने की आवश्यकता है। तीसरा, चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप को रोकने के लिए, हमें लोकतंत्रों के बीच सूचना के आदान-प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सुधार करने की आवश्यकता है।

आप की बात

अलविदा अमीन सयानी

लगातार 50 वर्षों तक रेडियो सहित आवाज की दुनिया में अपना वचस्व कायम रखने वाले अमीन सयानी हमारे बीच नहीं हैं। मगर उनकी झरने सी खनकती आवाज और उनका सबसे निराला बोलने का अंदाज सुनने वालों के मन में एक कशिश पैदा करता था। बिनाका गीत माला से प्रसिद्ध हुए अमिन सयानी रेडियो सीलोन से लगातार 40 वर्ष तक यह कार्यक्रम को चलते रहे। उस वक जब टीवी नहीं था तब अमीन सयानी का बिनाका गीत माला कार्यक्रम सुनने के लिए लोग बेताब रहते थे और जिनके यहां रेडियो नहीं थे वह रेडियो वालों के यहां एकत्रित हो जाते थे। भारत के अनेक गायकों को रेडियो और आकाशवाणी से लोकप्रियता मिली थी, उसी प्रकार अमीन सयानी फिन्मी संगीत की दुनिया में प्रस्तुतकर्ता के रूप में एकमात्र विख्यात आवाज वाली शख्सियत थे। रेडियो के अलावा भी जहां भी कार्यक्रम में उनकी आवाज सुनने को मिलती वहां लोग झुमने लगते। अमीन सयानी की लोकप्रियता प्रकारान्तर से दृश्य माध्यम, यानी टीवी, फिल्म आदि की तुलना में श्रव्य माध्यम की विशिष्टता प्रदर्शित करती है। सुने हुए शब्दों व गीतों से बनने वाली छवि दृश्यमान छवि से कम प्रभावी नहीं होती है। इस खनकती आवाज के नायक को शत-शत नमन।

- सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

असांजे का प्रत्यर्पण

अमेरिका वर्तमान समय में विकीलीक्स संस्थापक जूलियन असांजे को अपने देश में प्रत्यर्पण कराने के प्रयास कर रहा है। दूसरी ओर असांजे के वकील एवं ब्रिटेन में उनके समर्थक प्रदर्शन कर मांग कर रहे हैं कि उन्हें किसी कोमत पर अमेरिका प्रत्यर्पित नहीं किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि इंग्लैंड की अदालत इस पर गंभीरता से गौर करेगी। अमेरिकन राजनय की सच्चाई का पर्दाफाश करने वाले जूलियन असांजे को अमेरिका में मृत्युदंड होने का खतरा है। असांजे पर जासूसी के 17 आरोपों के साथ लगभग 15 साल पहले उनकी वेबसाइट पर वर्गीकृत अमेरिकी दस्तावेजों के प्रकाशन पर

कंप्यूटर के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। अमेरिका का कहना है कि असांजे ने अमेरिकी सेना के खुफिया सूचना विश्लेषक चेलसी मैनिंग को राजनयिक केबल और सैन्य फ़ाइलें चुराने में मदद की, जिन्हें बाद में विकीलीक्स ने प्रकाशित किया। असांजे द्वारा किए खुलासों से पता चला था कि अमेरिकी सेना ने अफ़ग़ानिस्तान और इराक में युद्ध के दौरान हज़ारों लोगों को अकारण मार डाला था। जूनियन असांजे ने अमेरिकी लोकतंत्र के पीछे छिपे असली साम्राज्यवादी तानाशाहों की तत्सरी सारी दुनिया के सामने उजागर की थी। उनका जीवन महत्वपूर्ण है।

- जग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

संवरता कश्मीर

मोदी सरकार ने कश्मीर घाटी से धारा 370 हटा कर उसे संवराने की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। अब यहां की हालत में भारी बदलाव आया है एवं जनता में भी बढ़ती खुशहाली की खबरें आने लगी हैं। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर को लिए 32,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की परियोजनायें और शुरु किए जाने से अब यहां की जनता और प्रसन्न है। परिवारवाद ने भी कश्मीर का काफ़ी शोषण किया है। शिख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती व कुछ अन्य परिवारों ने आप कश्मीरी जनता का हक मारने का काम ही अधिक किया है। नौजवानों को

बहकाने वाले उग्रवादियों, अलगाववादियों व पाकिस्तान परस्त नेताओं के बच्चे तो विदेशों में ठाठ से रहते थे, पर कश्मीर का नौजवान अंधी गली में फँस गया था। आज परिस्थितियों में व्यापक बदलाव आया है। केंद्र सरकार की सभी योजनाओं तथा संविधान के सभी प्राविधान लागू होने से अब हर जाति और समाज के हर वर्ग का विकास हो रहा है। कश्मीर अब संवर रहा है, यूरोपीय पर्यटन स्थलों से मुकाबला कर रहा है तथा फिल्म निर्माण व सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ी हैं।

- मनमोहन राजावत, शाजापुर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

